

राजस्थान सरकार
निदेशालय स्थानीय निकाय, राज0 जयपुर

क्रमांक:- एफ.3(क)() का.प्र./स्थानि./01/2036

दिनांक: 27.02.2025

संशोधन आदेश

निदेशालय महिला अधिकारिता विभाग, राज0 जयपुर के परिपत्र क्रमांक एफ16(4)(5)/निमअ/यौ.उत्पी./11/65765 दिनांक 30.12.2013 द्वारा महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के तहत जारी निर्देशों के क्रम में विभागीय समसंख्यक आदेश क्रमांक 867-876 दिनांक 23.01.2025 में आंशिक संशोधन किया जाकर उक्त विभागीय आदेश द्वारा विभाग के अधीन कार्यरत महिलाओं हेतु गठित नवीन कमेटी में क्रम संख्या 5 पर स्वयंसेवी संगठन, वूमन एसोसिएशन फॉर रूरल हैल्थ इनिशिएटिव (WARHI) की सचिव श्रीमती पूजा जैन को सदस्य के तौर पर सम्मिलित किया जाता है।

(इन्द्रजीत सिंह)

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक:- एफ.3(क)() का.प्र./स्थानि./01/2037 - 2047
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

दिनांक: 27.02.2025

01. शासन सचिव, कार्मिक (क-1) विभाग राज0 जयपुर को उनके परिपत्र दिनांक 23.07.2001, 22.11.2001 एवं 19.05.2003 के सन्दर्भ में।
02. शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, निदेशालय महिला अधिकारिता राज0 जयपुर को उनके पत्र क्रमांक एफ.16 (4)(5)/निमअ/यौ.उत्पी./2022/00096 दिनांक 16.12.2025 के क्रम में।
03. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक, निदेशालय।
04. निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग राज0 जयपुर।
05. श्रीमती अमृता चौधरी, सचिव, राज्य स्तरीय(न0पा0सेवा) चयन आयोग, निदेशालय।
06. श्री विनित कुमार सुखाड़िया, सहायक निदेशक (सतर्कता), निदेशालय।
07. सिस्टम एनालिस्ट व संयुक्त निदेशक (आई0टी0), निदेशालय को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि निदेशालय महिला अधिकारिता राज0 जयपुर के पत्र दिनांक 16.12.2025 के अनुसार वांछित सूचना शी-बॉक्स पोर्टल एवं विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करावें।
08. श्रीमती अंजुबाला शर्मा, वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशालय, जयपुर।
09. श्रीमती रेखा पारीक, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, निदेशालय।
10. श्रीमती पूजा जैन, सचिव (WARHI) पता-165/ए, पटेल नगर, ईस्कॉन रोड, मानसरोवर, जयपुर।
11. सुरक्षित पत्रावली।

श्याम सिंह शेखावत)
अतिरिक्त निदेशक

ACR(DS)
28/02/25
606